प्रकरण संख्या 116/14 सीगा शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा13 ए अनवान सुखदेवाराम बनाम सरकार आदि

फर्द अहकाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02-12-2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता अजय अरोड़ा उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थी सुखदेवाराम पुत्र रामलाल जाति बिश्नोई निवासी धमंडिया ने दिनांक 15.09.14 को प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 6 बी.एल.एम. तहसील श्रीविजयनगर (खरीद के समय तहसील अनूपगढ़) के प0नं0 189/401 के कि0नं0 1 ता 6=6.00 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 23.05.1975 के कुंभाराम पुत्र जवाहरा राम ओड निवासी 6 बीएलएम से खरीदशुदा है जो खरीद दिनांक से आज तक कब्जा काश्त में है। यह खरीद उपनिवेशन अधिनियम की धारा 13(1) की अवहेलना से होने के कारण प्रार्थी धारा 13 ए के तहत शमन फीस जमा करवाकर उक्त भूमि का नियमन करवाना चाहता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीवियजनगर को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। दिनांक 29.12.14 को प्रार्थी ने प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी स्वयं की जोखिम पर शमनफीस जमा करवाना चाहता है। शमन फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 31.12.14 होने के कारण तहसीलदार श्रीवियजनगर को शमन फीस व ब्याज जमा करवाने के आदेश प्रदान किए गए। जिसकी पालना में तहसीलदार(राजस्व) श्रीविजयनगर द्वारा जरिये चालान जी.आर.एन 4527058–914/31.12.14 के शमनफीस 9000/–चालान जी.आर.एन 4526953–915/31.12.14 के 42638.00 ब्याज राशि के, प्रार्थी सुखदेवाराम से जमा करवाए गए। पूर्व आदेश की पालना में तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर द्वारा पत्रांक 180 दिनांक 23.03.15 की पालना से बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र एवं उपलब्ध रिकार्ड के तथ्यों को दोहराते हुए, धारा 13 ए के तहत नियमन का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज बैयनामा, शमनफीस एवं ब्याज राशि के चालान की प्रतियां एवं तहसीलदार द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। उपरोक्त अध्ययन के पश्चात प्रार्थी का प्रकरण धारा 13 ए उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत नियमन योग्य पाया जाता है। अतः उपरोक्त निष्कर्ष अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी द्वारा क्रयशुदा भूमि जो जरिये बैयनामा दिनांक 23.05.1975 में कुभाराम पुत्र जवाहरराम से खरीद की गई है के विक्रय पत्र को विधि अनुसार स्वीकार कर कुल विक्रय भूमि चक 6 बीएलएम तहसील श्रीविजयनगर का पं.नं. प0नं0 189/401 कि0नं0 1 से 6=6.00 बीघा (1.518है0) भूमि के पंजीकरण हस्तांतरण वहक सुखदेवाराम पुत्र रामलाल विश्नोई निवासी घमंडिया को नियमितीकरण कर वैध बेचान माना जाता है। सक्षम अधिकारी आवश्यक कार्यवाही बाबत स्वतंत्र है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफतर हो। 2/12/20 (अशोक कुमार मीना) अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)	

Scanned by CamScanner